कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी सह सदस्य सचिव
स्वामी आत्मानन्द शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय
नर्मदापुर, मैनपाट जिला – सरगुजा (छ0ग0)

–:: आदेश ::–

अम्बिकापुर, दिनांक– 07/02/2022

क्रमांक / स्था0 / स्कूल शिक्षा / संविदा भर्ती(अं.मा.) / 1055 / 2021–22, :: छ0ग0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर का आदेश क्रमांक / एफ 23–08 / 2020 / 20–तीन / नवा रायपुर, अटल नगर / दिनांक 30.06.2021 एवं लोक शिक्षण संचानालय छ0ग0 इन्द्रावती भवन नवा रायपुर, अटल नगर के आदेश क्रमांक / स्वा.आ.अं.मा. / 2021–22 / 259 / रायपुर, दिनांक 13.07.2021 द्वारा स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों हेतु सृजित किये गये पद अनुसार स्वामी आत्मानन्द शासकीय उत्कृष्ट (अंग्रेजी माध्यम) उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नर्मदापुर, मैनपाट जिला–सरगुजा (छ0ग0) में अद्योलिखित पद पर चयनित अभ्यर्थी तालिका क्रमांक–04 को निम्नांकित शर्तों के अधीन एतद् द्वारा संविदा नियुक्ति प्रदान की जाती है –

क्र	पदनाम	विषय	अभ्यर्थी का नाम	पिता का नाम	संविदा मानदेय
1	2	. 3	4	5	6
1	व्याख्याता	जीव विज्ञान (हि.मा.)	विवेक कुमार यादव	श्री नरेश कुमार यादव	38100 /–

यह नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन होगी :–

1. यह नियुक्ति "संविदा नियुक्ति छ0ग0 सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम 2012" के अधीन होगी।
2. यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी है। शासन के द्वारा नियुक्ति अथवा कार्य–व्यवहार के आधार पर किसी भी समय पदच्युत किया जा सकेगा।
3. संविदा पर नियुक्त उम्मीदवारों को नियमित कर्मियों के समान आकस्मिक एवं ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी, किन्तु अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश (महिला अभ्यर्थियों को नियमानुसार प्रसूति अवकाश को छोड़कर) नहीं दिया जाएगा। आकस्मिक अवकाश एवं ऐच्छिक अवकाश पूर्ण महीनों के लिए अनुपातिक आधार पर दिये जाएगें।
4. किसी भी अभ्यर्थी की नियुक्ति संविदा होने पर वह नियमितिकरण के लिए किसी भी प्रकार का दावा नहीं कर सकेगा और ना ही उस पद के विरूद्ध उस व्यक्ति विशेष को नियमित भर्ती के समय कोई प्राथमिकता / छूट दी जाएगी।
5. अभ्यर्थी का कार्य–व्यवहार एवं परीक्षा परिणाम संतोषप्रद नहीं होने की स्थिति में उन्हें एक माह का नोटिस देकर उनकी संविदा नियुक्ति सेवाएं समाप्त की जा सकेगी। नियुक्त व्यक्ति भी एक माह का सूचना या एक माह का वेतन देकर सेवा से त्याग–पत्र दे सकता है।
6. विद्यालय संचालन प्रबंधन सह चयन समिति द्वारा विज्ञापन में उल्लेखित निर्धारित प्रक्रिया ही मान्य की जाएगी।
7. भविष्य में शासन द्वारा उक्त पदों पर नियमित भर्ती किये जाने पर यह नियुक्ति स्वयमेव निरस्त मानी जावेगी।
8. नियुक्ति आदेश में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि पाई जाती है तो वह कार्यालय द्वारा सुधार योग्य है।
9. चयनित अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश प्रतिवर्ष शिक्षा सत्रांत तक के लिए वैध होगा, शिक्षा संत्रात समाप्त होते ही अगली तिथि / कार्य दिवस को कर्मचारियों के नियुक्ति आदेश का नवीनीकरण किया जायेगा, किन्तु इस शर्त पर कि "शिक्षक / कर्मचारी द्वारा अपने कर्तव्यों का भली–भांति पालन किया हो, अध्यापन कार्य में उत्कृष्ट रहा हो तथा विद्यार्थियों व अन्य सहकर्मियों के साथ आचरण कुशल रहा हो।
10. अभ्यर्थी का कार्यभार ग्रहण करने के तिथि अथवा कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व समस्त आवश्यक मूल प्रमाण–पत्रों की छायाप्रति स्व–प्रमाणित कर पदस्थापना शाला में प्रस्तुत करना होगा।